तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
16.09.2025	आज यह पत्रावली माननीय राष्ट्रीय लोक अदालत(दिनांक 13.09.2025) बैंच के द्वारा पक्षकारान की ओर से लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर राजीनामा तस्दीक करते हुए पंचाट जारी कर प्रकरण राजस्व विधि के अनुसार राजीनामा के दृष्टिगत निर्णय/आगामी कार्यवाही हेतु पत्रावली न्यायालय को प्रेषित करने के परिणामस्वरूप पेशी में ली गई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष प्रकरण में राजीनामा आधार पर वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा वाद पत्र के माध्यम से विवादित भूमि पृथक–पृथक राजस्व ग्रामों में पृथक पृथक खातों में वादी, प्रतिवादी सं. 1–2 तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1–2 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है को बाहमी बंटवारा के आधार पर विभाजन एवं घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में राजीनामा आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादित भूमि का निम्नांकित अनुसार पक्षकारान को उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :–	

वादी गुरदीप सिंह	**चक 12 बीएलएम बी** के **प.नं. 214/422 मु.नं. 28** कि.नं. 1 ता 10 प्रत्येक 0.253है., 11/0.114, 12/.114, 13/0.114, 14/0.114, 15/0.111(उत्तरी भाग) कुल 3.097है., **प.नं. 215/422 मु.नं. 29** कि.नं. 1/0.253, 2/0.051, 9/0.051(कि.नं. 1, 10 के चिपता हुआ), 10/.253, 12/.139 (0.025 उत्तर–दक्षिण कि.नं. 11 के साथ चिपता व 0.114 दक्षिणी भाग), 13/.114, 14/.114, 15/.114(दक्षिणी भाग), 16 ता 19 प्रत्येक .253है., 22 ता 25 प्रत्येक .253 कुल 3.113है., **प.नं. 218/420 मु.नु. 20** कि.नं. 16/0.120, 25/0.126(पश्चिमी भाग), 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 कुल 2.270है. **चक 13 बीएलएम बी प.नं. 212/421 मु.नं. 6** कि.नं. 1/0.091, 10/0.146, 11/0.228, 19/0.020, 20/0.203, 21/0.228, 22/1/0.063 कुल 0.979है.
प्रतिवादी सुखदीप सिंह	**चक 12 बीएलएम बी** [illegible] **214/422 मु.नं. 28** कि.नं. 11/[illegible].114, 12/0.114, 13/0.114, 14/0.114, 15/0.111 (दक्षिणी भाग), 16/0.[illegible], 25/0.228 (पश्चिमी भाग), 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 कुल 3.047है., **प.नं. 215/422 मु.नं. 29** कि.नं. 11–20–21 प्रत्येक 0.253 कुल 0.759है. **चक 13 बीएलएम बी प.नं. 212/421 मु.नं. 6** कि.नं. 1/0.137, 10/0.082, 12/0.190, 19/0.167 कुल 0.576है.

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.10.15 10:32:44 IST
Reason: SelfAttested

ॉरीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

प्रतिवादी गुरदित्त सिंह	चक 12 बीएलएम बी के प.नं. 215/422 मु.नं. 29 कि.नं. 2/0.202, 9/0.202(पूर्वी भाग), 12/0.089(उत्तर पूर्व भाग), 13/0.114, 14/0.114, 15/0.114(उत्तरी भाग), 3 ता 8 प्रत्येक 0.253 कुल 2.353है प.नं. 218/421 मु.नं. 23 कि.नं. 1ता6 प्रत्येक 0.253है. कुल 1.518है. प.नं. 218/420 मु.नु. 20 कि.नं. 16/0.120, 25/0.127(पूर्वी भाग), 15/0.228, 6/0.228,(पश्चिमी भाग), 5/1/0.114 (पश्चिमी भाग) कुल 0.817है. चक 13 बीएलएम बी प.नं. 212/421 मु.नं. 6 कि.नं. 19/0.041है.
वादी गुरदीप सिंह 1/2 भाग प्रतिवादी सुखदीप सिंह 1/4 भाग गुरदित्त सिंह 1/4 भाग संयुक्त खाता में	चक 12 बीएलएम बी प.नं. 214/422 मु.नं. 28 कि.नं. 11,12,13,14 प्रत्येक 0.025है. मध्य भाग पश्चिम से पूर्व, 15/0.031 (0.025 मध्य भाग पश्चिम से पूर्व व 0.006 उत्तर से दक्षिण पूर्वी भाग), 16 व 25 प्रत्येक 0.025है. पूर्वी भाग कुल 0.181है. प.न. 215/422 मु.नं. 29 कि.नं. 12,13,14,15 प्रत्येक 0.025है कुल 0.100है. पूर्व से पश्चिम मध्य भाग प.नं. 218/420 मु.नं. 20 कि.नं. 5/1,6,15 प्रत्येक 0.025है. पूर्वी भाग, 16/0.013 पूर्व से पश्चिम कुल 0.088है. चक 13 बीएलएम बी प.नं. 212/421 मु.नं. 6 कि.नं. 1,10,11,19,,21 प्रत्येक 0.025है., 20/0.050 कुल 0.175है.

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मं पृथक–पृथक खाता में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से अंकन किया जावे। भूमि की किस्म प्रकृति (नहरी/बारानी/खाला/गै.मु.) में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे। चूंकि उक्त भूमि बैंक के पक्ष में राहिन दर्ज है ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की पालना भूमि के रहन मुक्त दर्ज होने के उपरान्त की जावे। राजीनामा को निर्णय का भाग समझा जावे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुना गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.10.15 10:52:44 IST
Reason: SelfAttested

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्री विजयनगर